

## नींद के अभाव में झूठे इकबालिया बयान

**डै**मन तिबोडो को 15 साल की कैद भुगतना पड़ी थी, सिर्फ उसके इकबालिया बयान के आधार पर। वह इकबालिया बयान झूठा था और तिबोडो ने नींद न मिल पाने की वजह से दिया था।

तिबोडो की चचेरी बहन क्रिस्टल शेम्पेन की लाश मिलने पर तिबोडो को गिरफ्तार किया गया। उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने शेम्पेन के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की है। कई साल बाद की गई डीएनए जांच से पता चला था कि वास्तव में तिबोडो का पूरे मामले से कुछ लेना-देना नहीं था मगर तब तक वह फांसी के इन्तज़ार में 15 वर्ष जेल में बिता चुका था।

हाल में किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि इस तरह के झूठे इकबालिया बयान अपवाद नहीं हैं बल्कि काफी आम हैं। इनोसेन्स प्रोजेक्ट नामक एक अभियान समूह के मुताबिक यूएस में गलत सज़ा के मामलों में से एक-चौथाई झूठे इकबालिया बयान पर आधारित होते हैं। तिबोडो की तरह कई मामलों में पता चला है कि आरोपी नींद के अभाव से ग्रस्त थे।

हालांकि यह बात काफी समय से पता रही है कि पूरी नींद न मिलने पर व्यक्ति अनाप-शनाप बातें करने लगते हैं मगर हाल के अध्ययन ने इसे एक व्यवस्थित प्रमाण दिया है। अध्ययन में 88 लोगों को कंप्यूटर पर विभिन्न कार्य करने को कहा गया था। इसके बाद कुछ लोगों को 8 घंटे

तक सोने दिया गया जबकि बाकी को पूरी रात जगाए रखा गया। अगले दिन सुबह उन सब पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अध्ययन के आंकड़े गुमा दिए हैं। जब वे काम कर रहे थे तब उन्हें बार-बार कहा गया था कि 'एस्केप' बटन न दबाएं, अन्यथा सारे आंकड़े गुम हो जाएंगे। आरोप था कि उन्होंने 'एस्केप' बटन दबाया और आंकड़े गुम हो गए।

जब उनसे कहा गया कि वे अपने अपराध के इकबालिया बयान पर दस्तखत करें, तो नींद के अभाव से ग्रस्त लोगों में से आधे ने दस्तखत कर दिए जबकि 8 घंटे सो चुके लोगों में से मात्र 18 प्रतिशत दस्तखत करने को राज़ी हुए।

शोधकर्ता एलिज़ाबेथ लॉफ्टस का मत है कि इन लोगों को सचमुच अपराध बोध महसूस हो रहा था कि उनकी वजह से पूरा प्रयोग तबाह हो गया है।

कई लोगों का मत है कि बेहतर होता यदि यह प्रयोग कैदियों पर किया जाता मगर फिर भी माना जा रहा है कि इस अध्ययन के आधार पर अदालत में इकबालिया बयानों को चुनौती दी जा सकेगी। वैसे यह तो जानी-मानी बात है कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस जिन आपत्तिजनक तरीकों का सहारा लेती है, उनमें से एक है कि आरोपी को सोने न देना। यह अध्ययन बताता है कि ऐसी स्थिति में हासिल किए गए इकबालिया बयान संदेहास्पद माने जाने चाहिए। (**स्रोत फीचर्स**)